



भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केन्द्र, मुंबई

फोन: 022-22820427; फैक्स: 022-22820411; ईमेल: crpd@sbi.co.in

रक्षा बैंकिंग सलाहकार (अर्ध सैनिक बल) की भर्ती

संविदा आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी

विज्ञापन संख्या: CRPD/SCO-DBA (PM)/2018-19/11

आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 04.12.2018 से 25.12.2018 तक

भारतीय स्टेट बैंक संविदा आधार पर रक्षा बैंकिंग सलाहकार (अर्ध सैनिक बल) के पद के लिए विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी की नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट पर दिए गए <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

1. आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि को उक्त पद के लिए दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
2. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे अपेक्षित सभी प्रलेख अपलोड करें (संक्षिप्त जीवन वृत्त, आईडी प्रमाण, आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि), ऐसा नहीं करने पर उन्हें योग्य अभ्यर्थियों की सूची में शामिल करने/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. योग्य अभ्यर्थियों की सूची बनाना और साक्षात्कार के लिए बुलाना प्रलेखों के सत्यापन के बिना अनंतिम होगा। साक्षात्कार के समय (यदि बुलाया जाता है तो) अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रतियों सहित सभी विवरणों/प्रलेखों का सत्यापन करवाए जाने पर ही उसकी अभ्यर्थिता मानी जाएगी।
4. यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है (आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि), तो उसे न तो साक्षात्कार में उपस्थित होने दिया जाएगा और न ही वह यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा/होगी।
5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> को नियमित रूप से विवरणों और नई जानकारी हेतु देखें (इसमें छांट कर बुलाए जाने/योग्य अभ्यर्थियों की सूची शामिल है)। आवश्यक होने पर कॉल लेटर/सूचना मात्र ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी (हार्ड प्रति नहीं भेजी जाएगी)।
6. सभी संशोधन/शुद्धि पत्र बैंक की उपर्युक्त वेबसाइटों पर ही अपलोड किया जाएगा।

क. पद के विवरण / नियोजन की प्रकृति / रिक्त-पद / आयु / चयन प्रक्रिया:

| पद | नियोजन की प्रकृति | रिक्त-पद | | | | | आयु 31.10.2018 को | प्रत्रता मापदंड (आयु 31.10.2018 को) |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-------|---------|---------|-----|-------------------|---|
| | | सामान्य | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल | | |
| रक्षा बैंकिंग सलाहकार (अर्ध सैनिक बल) | संविदात्मक | 1 | - | - | - | 1 | 62 | निम्न रैंक/पद से सेवानिवृत्त : - क) अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) या इससे उच्च (सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी) ख) केन्द्रीय सशक्त पुलिस बल/अर्ध सैनिक बल में 3 वर्ष का कार्य अनुभव |

संक्षिप्ताक्षर

श्रेणी: अजा – अनुसूचित जाति, अजजा – अनुसूचित जनजाति, अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग

नोट:

- 1) ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है।
- 2) बैंक के पास किसी भी समय इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ख. कार्य रूपरेखा तथा मुख्य दायित्व क्षेत्र (केआरए) :

| पद | प्रयोक्ता विभाग | ग्रेड | भूमिका अपेक्षाएं एवं मुख्य दायित्व क्षेत्र (केआरए) | तैनाती का संभावित स्थान |
|---------------------------------------|-----------------|------------|---|-------------------------|
| रक्षा बैंकिंग सलाहकार (अर्ध सैनिक बल) | पीबीयू | संविदात्मक | <ul style="list-style-type: none"> संस्थागत स्तर पर अर्धसैनिक बलों और एसबीआई के बीच संबंधों का विस्तार करने और अधिकारियों सहित उनके कार्मिकों के साथ बैंक के पैरा-मिलिटरी सैलरी पैकेज (पीएमएसपी) के विस्तार को बढ़ाने के लिए अर्धसैनिक बल मुख्यालय के साथ संपर्क करना। अर्धसैनिक बल मुख्यालय के साथ उस समय बैठक की व्यवस्था करना जब एसबीआई के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उनसे मिलना हो। शिकायत निवारण के लिए अर्धसैनिक बल मुख्यालय आदि के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना। शाखा विस्तार के लिए और एटीएम स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान करने में एसबीआई की सहायता करना। व्यावसायिक लीड उत्पन्न करना और उनपर अनुवर्ती कार्रवाई करना और विभिन्न यूनिटों / रेजिमेंटों के संपर्क विवरण बैंक को प्रस्तुत करना ताकि आवश्यक होने पर हमारे मंडल कार्यालयों / नेटवर्क / क्षेत्रीय कारोबार कार्यालयों द्वारा स्थानीय रूप से उनके साथ संवाद किया जा सके। अर्धसैनिक बलों की गृह पत्रिका, जब भी वह प्रकाशित होती है, में विज्ञापन देने में एसबीआई की सहायता करना। पीएमएसपी / अन्य संस्थागत कारोबार के विपणन के लिए और शिकायतों निपटान के लिए मंडल डीवीए के साथ समन्वय करना। उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। रक्षा बैंकिंग सलाहकार महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय इकाई) को रिपोर्ट करेंगे, यदि महा प्रबंधक (जीबीयू) का पद रिक्त है या तैनात नहीं किया गया है तो कॉर्पोरेट केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक (वैयक्तिक बैंकिंग) / महा प्रबंधक (वैयक्तिक बैंकिंग) यह निर्णय करेंगे कि रक्षा बैंकिंग सलाहकार किसे रिपोर्ट करेगा। सलाहकार किसी भी वार्ता में बैंक का सीधे प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रशासनिक, वित्तीय या अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा। | दिल्ली |

टिप्पणी : उपर्युक्त दायित्व क्षेत्र के अतिरिक्त दायित्व भी बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी जा सकती हैं।

ग. परिलालिध्यां:

| पद | संविदा की अवधि | सीटीसी / छुट्टी |
|---------------------------------------|---|--|
| रक्षा बैंकिंग सलाहकार (अर्ध सैनिक बल) | चयनित अभ्यर्थी को प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियोजित किया जाएगा। संविदा अवधि के पूरा होने पर, संतोषजनक स्वास्थ्य वाले 64 वर्ष या उससे कम आयु के रक्षा बैंकिंग सलाहकार को बैंक के विवेकाधिकार पर अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियोजन हेतु विचार किया जा सकता है। कोई भी पक्षकार एक महीने की नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है। | प्रति वर्ष 32.00 लाख रुपये का सीटीसी। मूल वेतन रु. 1,00,000/- प्रति माह होगा और सीटीसी के शेष हिस्से का भुगतान मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता और अन्य के रूप में किया जाएगा। प्रति वर्ष देय सीटीसी प्रति वर्ष 4.22 लाख रुपये की पेंशन राशि की कटौती के अधीन होगी। छुट्टी – 30 दिन प्रति वर्ष |

घ. चयन प्रक्रिया:

चयन शॉटलिस्टिंग और साक्षात्कार पर आधारित होगा।

साक्षात्कार: केवल न्यूनतम योग्यता मानदंड और अनुभव को पूरा करने से अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। बैंक द्वारा नियुक्त शॉटलिस्टिंग कमिटी शॉटलिस्टिंग के मानदंड को तय करेगी और उसके बाद बैंक द्वारा तय किए अनुसार अभ्यर्थियों को शॉटलिस्ट किया जाएगा और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस बारे में किसी भी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

मेरिट लिस्ट: केवल साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में चयन की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को कट ऑफ अंक (कट ऑफ बिंदु पर समान अंक) मिलते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्रम मेरिट लिस्ट में उनकी आयु के अवरोही क्रम में रखा जाएगा।

ड. आवेदन कैसे करें:

अभ्यर्थियों का मान्य ईमेल आईडी हो जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए। इससे अभ्यर्थियों को अपना कॉल लेटर / साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी।

च. प्रलेखों को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले प्रलेखों का विवरण:

- i. संक्षिप्त जीवन वृत्त (डीओसी या डीओसीएक्स)
- ii. आईडी प्रमाण (पीडीएफ)
- iii. जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)
- iv. शैक्षणिक योग्यता: संबंधित अंक तालिका/डिग्री प्रमाणपत्र (पीडीएफ)
- v. अनुभव प्रमाणपत्र (पीडीएफ)
- vi. सेवामुक्ति प्रमाणपत्र
- vii. यथा 31.03.2018 को फॉर्म' 16 / आयकर विवरणी, वर्तमान वेतन-पर्चा आदि

ब. फोटोग्राफ फाइल टाइप / साइज़:

- i. पासपोर्ट आकार की हाल में खिंची हुई रंगीन फोटो.
- ii. फाइल का आकार 20 केबी - 50 केबी के बीच का और आयाम 200 X 230 पिक्सल (अधिमानत:) हो.
- iii. यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, इसे हो सके तो सफेद, नहीं तो हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.
- iv. तनावमुक्त होकर कैमरे में सामने की ओर देखें.
- v. यदि फोटो धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई भारी छाया न पड़े.
- vi. यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें रैड-आय नहीं है.
- vii. यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परचाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
- viii. टोपी, हैंट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.
- ix. यह सुनिश्चित करें कि रैकेन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि जैसी बातें स्कैनर पर सेट करके समायोजित कर लें.

स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार / आकार:

- i. आवेदक सफेद कागज पर काली स्थाही के पैन से हस्ताक्षर करें.
- ii. हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करें न कि कोई और व्यक्ति.
- iii. कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां आपके हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा.
- iv. उत्तर पुस्तिका पर आवेदक के हस्ताक्षर परीक्षा के समय यदि कॉल लेटर के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते तो आवेदक अयोग्य हो जाएगा / जाएगी.
- v. फाइल का आकार 10 केबी - 20 केबी के बीच का हो और आयाम 140 X 60 पिक्सल (अधिमानत:) हो.
- vi. यह सुनिश्चित करें कि रैकेन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है.
- vii. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

द. प्रलेख की फाइल का प्रकार / आकार:

- i. जीवन वृत्त डीओसी या डीओसीएक्स प्रारूप में हो और बाकी के सभी प्रलेख आवश्यक रूप से पीडीएफ प्रारूप में ही हों.
- ii. प्रलेख के पेज का आकार 4 का हो.
- iii. फाइल का आकार 500 केबी से अधिक का न हो.
- iv. प्रलेख को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है, तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए प्रलेख साफ और पढ़े जा सकने लायक हैं.

य. फोटो / हस्ताक्षर / प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

- i. स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इन्च) पर रखें.
- ii. कलर को टू कलर पर सेट करें.
- iii. फोटो / हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप कर फोटो को स्कैन करें फिर फोटो को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
- iv. फोटो / हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या फिर जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम इमेज01.जेपीजी या इमेज01.जेपीईजी दिखाई दे).
- v. इमेज के आयाम फोल्डर / फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयक्षण पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है.
- vi. जो अभ्यर्थी एमएस विन्डोज़ / एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में पा सकते हैं जो कि क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होंगी इसके लिए एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग

करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी प्रारूप में जेपीजी प्रारूप में सेव किए जा सकते हैं इसके लिए फाइल मेन्यू में सेव ऐज के विकल्प का प्रयोग करना होगा. फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) को घटाया जा सकता है और 20 केबी (हस्ताक्षर) क्रॉप का प्रयोग कर किया जा सकता है और फिर रिसाइज़ ऑप्शन (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्सल आकार के लिए दिया हुआ है) इमेज मेन्यू में दिया हुआ है. इसी तरह से अन्य फोटो एडीटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं.

- vii. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके.

र. प्रलेख अपलोड करने के लिए प्रक्रिया:

- i. हर प्रलेख को अपलोड करने के लिए अलग से लिंक हैं.
- ii. “अपलोड” का संबंधित लिंक क्लिक करें.
- iii. ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ, डीओसी या डीओसीएक्स फाइल को सेव किया गया है.
- iv. फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें.
- v. आवेदन समिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं होंगे तो इसमें त्रुटि का संदेश आएगा.
- vi. प्रलेख अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित / परिवर्तित नहीं हो सकेंगे.
- vii. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो / हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी जांच ले लिए कि फोटो साफ हैं और ये टीक तरह से अपलोड हुए हैं. चित्र या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट रूप से दिखेंगे नहीं तो अभ्यर्थी अपने आवेदन को संशोधित कर सकता / सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन पर प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता / सकती है. फोटो में यदि चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.

झ. सामान्य जानकारी:

- i. अभ्यर्थियों ने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उस पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में संतुष्टि करें.
- ii. जो अभ्यर्थी सरकार / अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से लेकर “अनापत्ति प्रमाणपत्र” प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और वे यदि किसी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, तो उन्हें उसका भुगतान नहीं किया जाएगा.
- iii. चयन की दशा में, अभ्यर्थी से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें.
- iv. अभ्यर्थियों को उन्हें के हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंत. जार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन / अक्षमता / फेलियर की स्थिति बन जाए. इन्टरनेट पर भारी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए.
- v. भर्ती की किसी भी अवस्था में यदि ऐसा पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों पर खरा नहीं उत्तरता / उत्तरती है तो और / या यह कि उसने गलत / झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (रियां) छिपाई हैं, तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसकी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
- vi. आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों, जिनके लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, वे अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं बश्तैं कि वे अनारक्षित श्रेणी पर लागू पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हों.
- vii. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल आईडी चालू रखें ताकि उन्हें पत्र / साक्षात्कार की तारीख संबंधी जानकारी आदि प्राप्त हो सके.
- viii. पात्रता, साक्षात्कार आयोजित किए जाने, अन्य परीक्षाएं और चयन के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यर्थी को न ही इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया जाएगा.
- ix. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि वह बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सीय रूप से उपयुक्त हो. यह नियुक्ति बैंक में इस पद हेतु बैंक में कार्यभार संभालते समय जो भी सेवा और आचारण नियम लागू होंगे उनके अध्यधीन होगी.
- x. एक ही पद के लिए कई आवेदन होने की स्थिति में, अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन को ही रखा जाएगा.
- xi. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे.
- xii. इस विज्ञापन के और / या इसके जवाब में आए आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाहियां मात्र मुंबई स्थित न्यायालयों / न्यायाधिकरणों / मंचों पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे / विवाद की सुनवाई का एकल व अनन्य अधिकार बैंक मुंबई ही होगा.

यदि कोई पूछताछ करनी हो, तो “CONTACT US” इस लिंक पर हमें लिखें जो कि बैंक की वेबसाइ